



## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)



8, अरेरा हिल्स ओल्ड जेल रोड, भोपाल-462004

### विज्ञापन

विज्ञा. क्र./रा.स्वा.मि./मा संसा./2020/16448

भोपाल, दिनांक 17/12/2020

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के अन्तर्गत सविदा आधार पर सविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है यह अनुबंध 31 मार्च 2021 तक के लिये होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा:-

क्र.	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
2	सविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)	2551	12,000 रुपये प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> <li>उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण/हायर सेकेण्डरी, 11वीं कक्षा उत्तीर्ण/हायर सेकेण्डरी (10+2) शिक्षा पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।</li> <li>शासकीय/अशासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों से ए.एन.एम. का निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण (न्यूनतम)।</li> <li>महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) जीवित पंजीयन होना चाहिये।</li> </ul>	21-40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (अनारक्षित/आरक्षित) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/01/2021 की स्थिति में)

आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल [www.sams.co.in](http://www.sams.co.in) के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक 28/12/2020 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 15/01/2021 है। ऑफ लाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य / स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

पद का नाम	सविदा स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित 27%	आर्थिक रूप से कमजोरी वर्ग 10%	अनुसूचित जनजाति 20%	अनुसूचित जाति 16%	अन्य पिछड़ा वर्ग *27%	निःशक्तजनों के लिये 6%				योग
							व्ही एच एच	एच एच	ओ एच	एम डी	
सविदा ए.एन.एम.	2551	689	255	510	408	689	0	0	153	0	2551

- \*अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27 प्रतिशत पदों में से माननीय न्यायालयीन प्रकरण व अतिरिक्त महाधिवक्ता के अभिमत अनुसार 13 प्रतिशत पद सुरक्षित रखे गए हैं।
- सविदा ए.एन.एम. के 332 पद, जो न्यायालयीन निर्णय उपरान्त उस वर्ग की भर्ती प्रक्रिया में उपरोक्त विज्ञापन के पात्र उम्मीदवारों से पूर्ति की जायेगी।
- निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयमैव निरस्त माने जायेंगे।
- अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत / निरस्त करने अथवा प्रक्रिया करने का अधिकार होगा।

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश